(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1355–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–3–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज इन्दौर प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16.

1– रामेश्वर पिता किशनलाल शर्मा
2– कल्लू पिता राजेन्द्र आर्य
3– सतीश पिता रामचन्द्र
4– जमनालाल पिता शंकरलाल
निवासीगण 59 नेता जी सुभाष मार्ग,
इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेश पिता भेरूलाल
2– अशोक पिता जमनालाल साहू
निवासीगण 150, नेताजी सुभाष मार्ग,
इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री तेज बहादुर शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री व्ही0आर0 पुरोहित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 5–10–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अपील/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–15 अंतरवर्ती आदेश है, जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 46 के अंतर्गत अपील वर्जित है, अतः अपील इसी आधार पर निरस्त किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–3–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होने के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि व्यपवर्तित भूमि होकर उस पर मकान बना हुआ है, अतः संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, इसलिए इस अपील को दर्ज नहीं किया जाकर इसी आधार पर निरस्त किया जाये, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । यह आधार भी लिया गया है कि चूंकि प्रकरण में संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का भी अधिकार नहीं था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किया जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरवर्ती आदेश है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं है ।

तर्कों के समर्थन में 1977 आर.एन. 339 (उच्च न्यायालय) एवं 2004 आर.एन. 24 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, अतः आवेदक द्वारा तकनीकी आधारों पर प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण सामान्यतः तकनीकी आधारों पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्यायल प्राप्त हो सके ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगरानी प्रकरण क्रमांक 631–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 26–4–2016 से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही निरस्त की गई है । अतः उक्त आदेश के प्रकाश में इस प्रकरण से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही भी निरर्थक हो गई है, इसलिये यह निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर